किशोर बनाम मुकेश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
	दावा मु.नं. 5/2022	
	शुदा शपथ-पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07-11-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
07.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.11.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
17.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इस्तकरार हक (उद्घोषणा), दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2022	2022/0017	12.01.2022	17.11.2022

उनवान प्रकरण

1. किशोर पुत्र कालूराम
2. झाबरमल पुत्र कालूराम
3. भादर पुत्र कालूराम
4. गंगा देवी पुत्री कालूराम
5. गुलाबी देवी पुत्री कालूराम
6. भगवती देवी पुत्री कालूराम
7. स्वाती पुत्री जगदीश पुत्र कालूराम
8. देशराज पुत्र स्व. बाबूलाल
9. राकेश पुत्र स्व. बाबूलाल
10. मीरा देवी पत्नी बाबूलाल पुत्र कालूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ हाल नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादीगण—

बनाम्

1 मुकेश पुत्र स्व. मुरलीधर
2. महेन्द्र पुत्र स्व. मुरलीधर
3. रामसिंह पुत्र स्व. मुरलीधर
4. सुल्तान पुत्र स्व. मुरलीधर
5. सुभाष पुत्र स्व. मुरलीधर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6 रूकमा देवी बेवा मुरलीधर

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ हाल नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

8. हेमाराम पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ हाल नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री रघुनाथ सिंह, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 8 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक (उद्घोषणा), दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी पैत्रिक कृषि भूमियां तन् ग्राम में अवस्थित थी व वर्तमान में भी है। उक्त भूमियां बाबत् पक्षकारान के बुजुर्गो ने भूमियों को ईकजाही करने व उनका समुचित विकास करने के उद्देश्य से अर्सा करीबन 30 वर्ष पूर्व भूमियों का समायोजन करते हुए एक–दुसरे की भूमियों का आदान प्रदान करते हुए पारिवारिक बाह्मी समझौता कर लिया था। उक्त बाह्मी पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 587, 588, 589, 590 कुल किता 4 कुल रकबा 6.67 है0 अवस्थित डेरावाली ढ़ाणी तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादीगण के पिता/दादा/ससुर के नाम अंकित हिस्सा 1/8 की भूमि प्रतिवादीगण नं. [illegible] दादा नारायण पुत्र लादू के हिस्से में रखी गयी थी। जिस[illegible] नामांतकरण संख्या 471 में जरिये दिनांक 20.10.1992 को करवा ली थी [illegible] खातेदार नारायण भी मृत्यु के बाद विरासत में उक्त हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के पिता मुरलीधर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 12/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के नाम अंकित चली आ रही है। खातेदार मुरलीधर का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। इस कारण मुरलीधर के वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 बनाया हैं। अर्सा करीबन 30 वर्ष पूर्व हुये बाहमी पारिवारिक समझौते के अनुसार पिता/दादा/ससुर वादीगण को उक्त भूमियों में बदले भूमि खसरा नम्बर 163 से 174 व 176 से खसरा नम्बर 183 कुल किता 20 कुल रकबा 6.81 है0 में मृतक नारायण के नाम अंकित हिस्सा 1/18 की भूमि दी गयी थी। नारायण का स्वर्गवास हो जाने से उसके पुत्र मुरलीधर के नाम उक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया व वर्तमान में मुरलीधर पुत्र नारायण का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 हैं। इस कारण इनको प्रतिवादी बनाया हैं। हालांकि राजस्व रिकार्ड भी मृतक मुरलीधर के नाम से चला आ रहा हैं। पिता/दादा/ससुर वादीगण के स्वर्गवास हो जाने से उक्त बाहमी पारिवारिक भूमियों का आदान प्रदान के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही हो सका। वादीगण ने मृतक कालूराम का विरासत का नामांतरण खुलवाये जाने पर इस बात की जानकारी हुयी है कि उनके पिता को भूमि ख0 न0 163 से 174 व ख0 न0 176 से 183 में नारायण द्वार दिया गया हिस्सा 1/18 पर राजस्व रिकार्ड यथावत पूर्व में मृतक नारायण के नाम पर व नारायण की मृत्यु के बाद विरासत में मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम चला आ रहा हैं। जबकि उक्त भूमियां पिता/दादा/ससुर वादीगण को वास्तविक कब्जा देर सम्भलायी थी किंतु राजस्व रिकार्ड आज भी गलत रूप से मृतक मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम से चला आ रहा हैं। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों में मृतक मुरलीधर के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 पर पिता/दादा/ससुर वादीगण व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण लगातार बहैसियत काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं तथा उक्त 30 वर्ष के कब्जे में कोई दखलदांजी न तो मृतक न्यायालय द्वारा की गयी न ही मृतक मुरलीधर द्वारा की गयी तथा मुरलीधर की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 ने कोई दखलदांजी कब्जे काश्त में नही की। किंतु राजस्व रिकार्ड मृतक मुरलीधर के नाम ग[illegible] से अंकित चला आ रहा होने से वादीगण को सख्त हकत[illegible] ही होने से वादीगण को अकथनीय हानि हो रही हैं तथा राज्य सरकार से [illegible]श्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादीगण बेवजह वंचित हो रहे हैं। भूमि ख0 न0 163 से 174 व 176 से 183 कुल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

किता 20 कुल रकबा 6.81 है0 में हिस्सा 1/18 जो मृतक मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम चला आ रहा है को अपने नाम करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है अर्थात मृतक मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम अंकित हिस्सा 1/8 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड वादीगण अपने नाम करवाने के अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 ता 6 को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु कहां तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने पिता मृतक मुरलीधर भी विरासत का नामांतरण अन्य भूमियों का ही खुलवाया है। इस भूमि का विरासत का नामांतरण भी इस कारण नही खुलवाया कि उक्त भूमियो पर पारिवारिक बंदोबस्त के अनुसार आपका चला आ रहा है। आप इस भूमि के खातेदारी अपने नाम करवाओं हमें कोई ऐतराज नही है। वर्षों पूर्व हुए पारिवारिक बाह्मी बंटवारे का हम सम्मान व पालन करते आ रहे हैं किन्तु वर्तमान में प्रशासन गांवों के संग अभियान में वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हुते कहां तो प्रतिवादीगण राजस्व अभियान में जानबुझकर नही आये। इस कारण वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ हैं। इस कारण दावा पेश करना लाजमी हुआ हैं। वादीगण ने दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 से 174 व 176 से 183 कुल किता 20 कुल रकबा 6.81 है0 अवस्थित डेरावाली ढ़ाणी तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के मृतक पिता मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम दर्ज उक्त 1/18 हिस्से के बजाय वादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को संपूर्ण भूमि में 1/144, 1/144 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को 1/144 हिस्से का संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के पिता मुरलीधर पुत्र नारायण का [illegible] या जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने तथा [illegible] निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने कि वे वाग्रस्त अ[illegible] के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहम[illegible]दा न स्वयं करें ना दीगर से करवे, ना ही जोर जबरन बेदखल करे, ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करे। इस हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वाद वास्ते घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक हो चुकी है। प्रतिवादी नम्बर 7 के बावजूद सम्मन तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश कर स्वीकार होने पर प्रकरण में संशोधित वादपत्र पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 की ओर से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया। राजीनामा के साथ-साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 की ओर से इकबालिया जवाब दावा भी पेश किया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण में वादी भादर पुत्र कालूराम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुआ। इसके उपरान्त प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर बरूए राजीनामा वादपत्र का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के पिता/दादा/ससुर के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त भूमियों का पक्षकारान् द्वारा अपनी भूमियों को ईकजाही करने व समुचित विकास करने के उद्देश्य से वर्षो पूर्व भूमियों का समायोजन करते हुए एक दूसरे की भूमियों का आदान प्रदान करते हुए पारिवारिक बाहमी समझौता कर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

जाना प्रकट होता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार एक ही खानदान व कुटुम्ब से होकर इनके पूर्वज ईशरा, नारायण पुत्रगण लादू की सन्तान होना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों के पैतृक भूमियाँ होना सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश करना प्रमाणित होता है। वादीगण की साक्ष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्ठि होती है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 से 174 व 176 से 183 कुल किता 20 कुल रकबा 6.81 है0 अवस्थित डेरावाली ढ़ाणी तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के मृतक पिता मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम दर्ज उक्त 1/18 हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को संपूर्ण भूमि में 1/144, 1/144 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को 1/144 हिस्से का संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के पिता मुरलीधर पुत्र नारायण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक (उदघोषणा), दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया

12/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 से 174 व 176 से 183 कुल किता 20 कुल रकबा 6.81 है0 अवस्थित डेरावाली ढ़ाणी तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के मृतक पिता मुरलीधर पुत्र नारायण के नाम दर्ज उक्त 1/18 हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को संपूर्ण भूमि में 1/144, 1/144 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को 1/144 हिस्से का संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के पिता मुरलीधर पुत्र नारायण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)